

पत्र संख्या / एफ0टी०. **HPFD-F05/02/2024-FCA**
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अतिं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी०ए०)हि०प्र०।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड़,
शिमला, हिमाचल प्रदेश—1710001

दिनांक शिमला—१

विषय: **Diversions of 0.9991 ha of forest land in favour of M/s Bada Deo Small Hydro Project Pvt. Ltd. for the construction of 1.5 MW SHP, Bada Deo, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/HYD/34393/2018).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर File No.FC/HPB/01/127/2019 दिनांक 15/06/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्दूतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

1^प वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2^प परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3^प प्रतिपुरुक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर 2000 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4^प शुद्ध वर्तमान मूल्य:

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

5^प राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ०सी०ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08. 02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्युरी वन भूमि पर यह ओदश लागू नहीं होगा। राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में 08.02.2023 को जारी आदेशों का पालन किया जाएगा।

- 6^व The undertaking of revised NPV calculation sheet/bill has been submitted in online portal.
- 7^व The TEC and IA has been submitted by user agency in online portal.
- 8^व The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the working permission or submitting the compliance report of Stage-II approval. Undertaking is furnished by the user agency.
- 9^व All funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, has been deposited by the user agency in Ad-hoc CAMPA. Copy of challan is enclosed herewith.
- 10^प प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर greenery को maintain करेगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 11^प एफ०आर०ए० का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 12^प प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि पर पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। वचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 13^प आस-पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण ने इसके लिए सहमती जताई है।
- 14^प परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पॉर्टल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है।
- 15^प इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- 16^प केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
- 17^प वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता संलग्न है।
- 18^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 19^प वचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 20^प वचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 21^प वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 22^प केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यवित को हस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
- 23^प The user agency will abide by the condition as stipulated. Undertaking in this regard is attached herewith for ready reference.

24^v The user agency will abide by the condition as stipulated. Undertaking in this regard is attached herewith for ready reference.

25^v The user agency will abide by the condition as stipulated. Undertaking in this regard is attached herewith for ready reference.

26^v इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।

27^v The user agency has submitted an undertaking vide which it has been undertaken by the user agency that they will submit annual self compliance report in respect of above conditions to the State Govt. and concerned IRO.

28^v यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

29^v इनमें से किसी भी शर्त का या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।

30^v अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए

भवदीय,

Signed by

Sanjay Singh एवं अतिरिक्त मुख्य

अधिकारी (एफ0सी0) दिनांक

Date: 12-08-2024 16:00:18

Suket Forest Division

**NET PREST VALUE FOR THE DIVERSION OF 0.9991 ha forest land for c/o 1.5 mW
Baada Deo Small Hydel Project Pvt. Ltd. Under Jhungi Forest Range In jurisdiction of
Suket Forest Division**

Sr No.	Name of Scheme	Forest Land proposed to be diverted (in ha)	Eco-Value class and Density	Rate of NPV revised by MoFF & CC orders date 06.01.2022	Amount involved
1	Diversion of 0.9991 ha of forest land for c/o 1.5mW Baada Deo small Hydel project Pvt. Ltd. In Jhungi Forest Range, Suket Forest Division. Distt. Mandi (H.P.) (online proposal No- FP/HP/HYD/34393/2018)	0.9991 ha	Eco-Value Class-V Density= 0 open forest	10,69,470/-	As per comprehensive guidelines manual 3.5 (XV) of GoI ; rates applicable @50% under NPV Rs 5,34,254/-

Deputy Conservator of Forests
 Divisional Forest Officer
 Suket Forest Division
 Sundernagar Distt. Mandi (H.P.)
 Sundernagar H.P.